सं: 1:05:138:II:सी
दिनांक: 28 अक्तूबर, 2021

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई-400 051	**बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड**, कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-25, पी.जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400 001

विषय: श्री राजीव रंजन झा द्वारा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक (परियोजना) के रूप में पदभार ग्रहण।

महोदया/महोदय,

सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुसार, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि **श्री राजीव रंजन झा** द्वारा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक (परियोजना) का पदभार ग्रहण कर लिया गया है:

बदलाव का कारण	विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 28 अक्तूबर, 2021 के आदेश सं.24-8/1/2020-पीएफसी(एमओपी) के अनुसार, जिसमें सूचित किया गया है कि कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा श्री राजीव रंजन झा को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक (परियोजना) के रूप में सहर्ष नियुक्त किया जाता है।
विद्युत मंत्रालय द्वारा नियुक्ति की तारीख	28 अक्तूबर, 2021
संक्षिप्त प्रोफाइल	श्री राजीव रंजन झा, आयु 55 वर्ष, मार्च 1997 से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) में कार्यरत हैं। इन्होंने रांची विश्वविद्यालय के एनआईटी जमशेदपुर से विज्ञान (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) में स्नातक की डिग्री और इग्नू से प्रबंधन में डिप्लोमा किया है। इन्हें 33 वर्षों का अनुभव है और 27 मई, 2019 से कार्यपालक निदेशक (परियोजना), पीएफसी के पद पर कार्यरत थे। इससे पूर्व, ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा राज्यों में राज्य क्षेत्र समन्वय कार्य सहित पश्चिमी क्षेत्र में पीएफसी के ऋण पोर्टफोलियो का कार्य निर्वहन कर रहे थे। इन्होंने इससे पूर्व, प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में पीएफसी के साथ कंसोर्शियम ऋण में संपूर्ण ऋण पोर्टफोलियो का कार्य निर्वहन किया। इन्होंने पीएफसी के संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा ऋण पोर्टफोलियो का कार्य निर्वहन भी किया है। इन्होंने पीएफसी में परियोजना आकलन (विशेषकर स्वतंत्र निजी विद्युत परियोजनाओं के लिए) और अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं संबंधी कार्यों का भी निर्वहन किया है।

	पीएफसी में पदभार ग्रहण करने से पूर्व, ये नवंबर 1988 से फरवरी 1997 तक विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में कार्यरत थे और वहां इन्होंने कोयला आधारित कैप्टिव पावर प्लांट के संचालन और रखरखाव के साथ-साथ सामग्री आयोजना में भी कार्य निर्वहन किया।
निदेशकगण के बीच संबंध	शून्य

इसके अतिरिक्त, यह भी सूचित किया जाता है कि **श्री राजीव रंजन झा** द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, उन्हें सेबी के किसी आदेश या ऐसे किसी अन्य प्राधिकरण के आधार पर निदेशक के पद पर रहने से वंचित नहीं किया गया है।

आपकी जानकारी एवं रिकॉर्ड हेतु प्रस्तुत।

धन्यवाद,

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनोहर बलवानी)
मुख्य महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव
mb@pfcindia.com